न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी–श्री शंकरलाल सालवी, आर.ए.एस.

िकरण संख्या–2114 / 2018 प्रा.प. दिनांक 27–05–2019

उनवान

1. नारायण पिता डूंगा गाडरी वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर

..............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्यामलाल पिता हजारी गाडरी वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर
2. देवीलाल पिता हजारी गाडरी वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर
3. वरजू पत्नि हजारी गाडरी वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर
4. उदा पिता नानूराम गाडरी वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर
5. कैलाश पिता नानूराम गाडरी वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर
6. धापूबाई बेवा प्यारा गाडरी वयस्क निवासी गाडरियावास तहसील भदेसर
7. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ

............विपक्षी

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– 1.श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

सारांश प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम गाडरियावास पटवार हल्का कूथंना जिसके साबिक खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 93, 107, 112, 114 / 1, 114 / 2 , 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 234, 265, 266, 276, 282, 283, 285,309 कुल किता 30 कुल रकवा 49 बीघा 18 बिस्वा स्थित है जिसके नवीन खाता संख्या 69 पर दर्ज आराजी नम्बर 369, 370, 371, 379, 396, 405, 406, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 421, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 544, 549, 567, 571, 572, 574, 608, 628, कुल किता–29 कुल रकवा 10.78 स्थित है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी साबिक , नवीन एवं मिलान क्षेत्रफल संलग्न है
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1 / 12 वां हक हिस्सा निहित है ।
3. यह कि मौजा गाडरियावास पटवार हल्का कूंथना का वर्ष 2010–2011 मे भू प्रबन्ध किया गया भू प्रबन्ध के दरम्यान प्रार्थी की खातेदारी के राजस्व रेकार्ड से प्रार्थी का नाम विलोपित कर दिया गया

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

जबकि प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहा है राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था फिर भी वे अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया है जिसे प्रार्थी का नाम उक्त आराजीयात से राजस्व रेकार्ड में साबिक अनुसार दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।

4. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने नाम की उक्त कृषि भूमि पर के.सी.सी0 कराने के लिए पटवार हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब प्रार्थी को उक्त त्रुटि की जानकारी हुई जानकारी होते ही उक्त त्रुटि दुरूस्त कराने का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । जो अन्दर अवधि होने से स्वीकार फरमाया जावे । तथा प्रार्थी का 1/12 वां हक हिस्सा पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । बरोज पेशी विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से वकील श्री रईस मोहम्मद ने पावर प्रस्तुत करते हुए हुए इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया विपक्षी संख्या 7 तहसीलदार भदेसर से मौका एव राजस्व रेकार्ड के आधार पर कमीशनरी रिपोर्ट ली गई जिन्होंने पटवारी हल्का कूथना द्वारा मुर्तिब रिपोर्ट दिनांक 05.09.2018 प्रस्तुत की गई कि – ग्राम गाडरियावास की साबिक जमाबन्दी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 73 पर प्रार्थी खातेदारी श्री नारायण पिता डूंगा एवं अन्य सहखातेदारों के नाम 'शामलाती खाते में कुल किता–30 कुल रकबा 49 बीघा 18 बिस्वा लगान 64.13 रूप्ये दर्ज रेकार्ड थी तत्पश्चात् सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थी खातेदार नारायण पिता डूंगा का नाम बिना किसी आधार पर विलोपित कर दिया गया । तत्पश्चात् इसी आधार पर मिसल बन्दोबस्त के खाते रो आधार वर्ष की जमाबन्दी में वादी खातेदार नाराण पिता डूंगा का नाम दर्ज नहीं किया गया आधार वर्ष संवत् 2068 की जमाबन्दी के आधार पर रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 69 किता 29 रकबा 10.78 हैक्टैयर में भी वादी खातेदार नारायण पिता डूंगा का नाम दर्ज नहीं किया गया इस प्रकार साबिक रिकार्ड (राजस्व रिकार्ड) जमाबन्दी 2065–68 के खाता संख्या 73 के मुताबिक हाल जमाबन्दी 2071–74 खाता संख्या 69 किता 29 रकबा 10.78 लगान 125.61 में भी वादी खातेदार नारायण पिता डूंगा गाडरी निवासी गाडरियावास का नाम दर्ज किया जाना उचित हैं ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया एवं तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का साबिक राजस्व रेकार्ड दिगर खातेदारान् विपक्षीगण के साथ नाम दर्ज था किन्तु भू प्रबन्धीय कार्यवाही में उसका नाम विलोपित हो चुका है तथा नवीन राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ है । अतः प्रा0प0 स्वीकार योग्य समझते है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ए0स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मौजा गाडरियावास पटवार हल्का कूथंना जिसके साविक खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 47, 48, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 63, 93, 107, 112, 114/1, 114/2 , 197, 198, 199, 200, 201, 202, 207, 208, 234, 265, 266, 276, 282, 283, 285, 309 कुल किता 30 कुल रकबा 49 बीघा 18 बिस्वा में प्रार्थी **नारायण** पिता डूंगा **गाडरी** का नाम दिगर खातेदार के साथ दर्ज रिकार्ड था किन्तु भू प्रबन्धीय कार्यवाही में उक्त आराजीयात के कायम नवीन खाता संख्या 69 की आराजी नम्बर 369, 370, 371, 379, 396, 405, 406, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 421, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 544, 549, 567, 571, 572, 574, 608, 628, कुल किता–29 कुल रकबा 10.78 संहवन से विलोपित कर दिया जाने से उक्त नवीन कायम राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी **नारायण** पिता **डूंगा गाडरी** का नाम पुनः साविक रेकार्ड में दर्ज खातेदारान् की प्रविष्ठी अनुसार वर्तमान में दर्ज अन्य खातेदार के साथ शुद्वि से दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner